

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/479

दिनांक:- 3/8/17

आदेश

वृत्त कोटा के अधीन विभिन्न शहरों में स्थित योजनाओं के उपलब्ध आवासों का निस्तारण उप आवासन आयुक्त, वृत्त कोटा/अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किए जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार निम्नानुसार है:-

S.No.	Category	House No.	Scheme	Total
1	EWS (GHARONDA)	39, 72, 75	Bhawanimandi	3
2	LIG	1/48	Bhawanimandi	1
3	MIG-A	1/10	Bhawanimandi	1
			Total	5

S.No.	Category	House No.	Scheme	Total
1	LIG	3-H-14	Ramganjmandi	22
2	LIG	3-N-1	Ramganjmandi	
3	LIG	3-N-4	Ramganjmandi	
4	LIG	3-N-6	Ramganjmandi	
5	LIG	3-N-13	Ramganjmandi	
6	LIG	3-Q-15	Ramganjmandi	
7	LIG	3-Q-17	Ramganjmandi	
8	LIG	3-Q-20	Ramganjmandi	
9	MIG-B	3-A-2	Ramganjmandi	
10	MIG-B	3-A-15	Ramganjmandi	
11	MIG-B	3-A-16	Ramganjmandi	
12	MIG-B	3-A-17	Ramganjmandi	
13	MIG-B	3-A-18	Ramganjmandi	
14	MIG-B	3-H-2	Ramganjmandi	
15	MIG-B	3-H-3	Ramganjmandi	
16	MIG-B	3-H-4	Ramganjmandi	
17	MIG-B	3-H-5	Ramganjmandi	
18	MIG-B	3-Q-4	Ramganjmandi	
19	MIG-B	3-Q-5	Ramganjmandi	
20	MIG-B	3-Q-6	Ramganjmandi	
21	MIG-B	3-Q-8	Ramganjmandi	
22	MIG-B	4-B-11	Ramganjmandi	
			Total	22

S.No.	Category	House No.	Scheme	Total
1	EWS	1-B-1	SUNEL	7
2	EWS	1-B-8	SUNEL	
3	EWS	1-C-29	SUNEL	
4	EWS	2-A-21	SUNEL	
5	EWS	2-A-24	SUNEL	
6	EWS	2-A-25	SUNEL	
7	EWS	2-A-26	SUNEL	
			Total	7

S.No.	Category	House No.	Scheme	Total
1	EWS	1/3	JHALARAPATAN	1

dr

उक्त 35 आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट्स/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जाये।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।
उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य संपदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य संपदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा, रा0आ0म0, कोटा
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-कोटा, रा0आ0म0, कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य संपदा प्रबन्धक

आवासन
जयपुर